UPGK010059292022

न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट संख्या-4, गोरखपुर।

आर्बिटेशन इजरा वाद संख्या : 91/2022

श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड----बनाम---------- श्री इशुक अली व अन्य

दिनांक 28.03.2026

पत्रावली लंच बाद पुनः पेश हुयी। बार-बार पुकार पर डिक्रीदार अनुपस्थित। डिक्रीदार की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पत्रावली पैरवी/अग्रिम आदेश हेतु नियत है, परन्तु डिक्रीदार विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है, जबकि डिक्रीदार को कई बार अवसर दिया जा चुका है, परन्तु उसके बावजूद भी वे लगातार अनुपस्थित है। प्रश्नगत प्रकरण वर्ष 2022 से लंबित है, ऐसा प्रतीत होता है कि उसे प्रश्नगत प्रकरण में कोई रूचि नहीं है। अतः प्रस्तुत इजरा, डिक्रीदार की अनुपस्थिति के परिप्रेक्ष्य में अदम पैरवी में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत इजरा वाद संख्या 91/2022, डिक्री की अनुपस्थिति/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(नन्द कुमार)
अपर जिला जज कोर्ट सं0-4,
गोरखपुर।
J.O Code UP-01702

Digitally signed by NAND KUMAR
Date: 2026.03.28 17:05:40 SRET
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court